प्रेस विज्ञप्ति

29-11-2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मनोज परमार एवं अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मनोज परमार एवं अन्य की आष्टा, सीहोर, (मध्य प्रदेश) में स्थित लगभग 2.08 करोड़ रुपये मूल्य की 12 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने सीबीआई, भोपाल द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मनोज परमार, मार्क पायस करारी (तत्कालीन शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, आष्टा, जिला सीहोर) एवं अन्य के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जाँच शुरू की। इसके बाद, सीबीआई द्वारा मनोज परमार एवं अन्य के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर किया गया।

ईडी की जाँच में पता चला कि मनोज परमार ने पंजाब नेशनल बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक की मदद से दो सरकारी योजनाओं - प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (सीएमवाईयूवाई) के तहत धोखाधड़ी से ऋण प्राप्त किए। 2016 में फ़र्ज़ी आवेदकों, जाली दस्तावेज़ों और मनगढ़ंत कोटेशन का इस्तेमाल करके 6.20 करोड़ रुपये के कुल 18 ऋण स्वीकृत किए गए, जिनमें से 6.01 करोड़ रुपये वास्तव में वितरित किए गए।

यह पता चला है कि बैंक की ऋण स्वीकृति शर्तों की अनदेखी की गई, द्वितीय-स्तरीय स्वीकृतियों को दरकिनार कर दिया गया, और शाखा प्रबंधक की वित्तीय शक्तियों से परे भी ऋण स्वीकृत किए गए। बाद में बैंक अधिकारियों द्वारा किए गए क्षेत्रीय निरीक्षणों से पुष्टि हुई कि कोई भी व्यावसायिक इकाइयाँ स्थापित नहीं की गईं, और कई कथित उधारकर्ताओं ने ऋण के लिए आवेदन करने या प्राप्त करने से इनकार कर दिया, जिससे पता चलता है कि स्वरोजगार के लिए बनाई गई योजनाओं का घोर दुरुपयोग किया गया था। इसके बाद, धोखाधड़ी से प्राप्त ऋण राशि को मनोज परमार और उनके करीबी सहयोगियों द्वारा नियंत्रित फर्मों के खातों में स्थानांतरित कर दिया गया। इन खातों से, धन को उनके स्रोत को छिपाने के लिए कई जुड़ी हुई संस्थाओं के बीच स्थानांतरित किया गया, नकद में निकाला गया, और आंशिक रूप से मनोज परमार और अन्य के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। मनोज परमार और अन्य द्वारा नियंत्रित फर्मों का उपयोग धन को प्रसारित करने और झूठी व्यावसायिक गतिविधि दिखाने के लिए परतों के रूप में किया गया। सरकारी सब्सिडी वाले ऋण निधियों का यह व्यवस्थित रूटिंग, स्तरीकरण और नकद निकासी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक धन के जानबूझकर किए गए विचलन को दर्शाता है, जिससे अपराध की आय बनती है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।